पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । अपील के विचाराधीन रहते विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 ने प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि साबिक खाता संख्या 60/1 में वर्णित भूमियों में से साबिक खसरा नंबर 354, 439, 440, 441, 442, 443, 444 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 403, 527, 528, 529, 530, 531, 532 कायम किये गये है की भूमियों को विभाजित अपीलांट/वादीगण के हक में खातेदारी हक प्रदान किये जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 अर्थात् सन् 1984 के खाता संख्या 6 नया 6 पुराना में अमरा पुत्र हेमा रावत के नाम दर्ज कर दी जिसके स्वर्गवास के बाद वादीगण उनके विधिक वारिसान है । उक्त वर्णित कृषि भूमियों को राजस्व रिकार्ड में किये गये इंद्राजात को विधिवत् होना स्वीकार कर जरिये पंजीकृत विक्रयपत्रों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के हक में विक्रय कर दी गई जिनके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार तत्समय ही स्वीकृत होकर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांट/वादीगण के पिता अमरा पुत्र हेमा द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अपने खातेदारी व आधिपत्य की होना स्वीकार करते हुए क्रेतागण के विरूद्ध अपील संख्या 1/2004 भू–प्रबधं अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे भी निर्णय दिनांक 30.6.2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को आधार बनाया जाकर वर्तमान अपीलांट/वादीगण संख्या 1 द्वारा पुनः सिविल संख्या 41/2012 माननीय सिविल न्यायाधीश, अजमेर जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे भी निर्णय दिनांक 18.4.2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधि0 एवं धारा 11 जा0दी0 में वर्णित विधिक प्रावधानों से बाधित है साथ ही उक्त तथ्यों को छिपाकर वादीगण/अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील एवं मूल वाद प्रस्तुत किया गया है जो आदेश 2 नियम 2 व 3 जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों से बाधित है । इसी प्रकार अपीलांट/वादीगण के पिता अमरा पुत्र हेमा को खाता संख्या 6 नया 6 पुराना के तहत अपने हक व हिस्से की भूमि प्राप्त होकर विक्रय कर दिये जाने से भी अपीलांट/वादीगण का अधिकार धारा 6 (1) भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत बाधित है । इसी प्रकार रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा विधिवत रूप से लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किये जाने के कारण अपील धारा 211 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 के परन्तुक के परिप्रेक्ष्य में विधि द्वारा वर्जित है तथा प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र

दिनांक 20.12.2004 से पूर्व का होने तथा निरस्ती का अनुतोष प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसका क्षैत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय में निहित करता हे । साथ ही निवेदन किया कि अपीलांट के मुख्त्यारआम स्वीकृत अभिवचनों के तहत 29 व 27 वर्ष के है जबकि उनके द्वारा अपीलांट की ओर से 1349 फसली अर्थात् 1940–41 के इंद्राजात को आधार उल्लेखित कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो कि आदेश 3 नियम 1 व 2 जा0दी0 के तहत वर्जित है । ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलांट प्रथम दृष्टया न तो व्यथित पक्षकार है एव ंना ही अपील प्रथमदृष्टया विधिक प्रावधानों से वर्जित होने के कारण पोषणीय ही है । इस कारण प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील आपत्तिकर्ता/रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे 2016 पेज 01 माननीय उच्चतम न्यायालय, आर0बी0जे0 2013 पेज 267, आर0बी0जे0 1995 पेज 765 माननीय उच्चतम न्यायालय, डी0एन0जे0 2017 (1) पेज 01 मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 6 मान0 राज0उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 1/2004 में भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2005 , सिविल प्रकरण संख्या 41/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18.4.2012 व खेवट खतौनी 1349 फसली, मिलान क्षैत्रफल एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2030 प्रस्तुत किये गये ।

जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपील विधिक प्रावधानों से वर्जित होने की परिभाषा में नहीं आती है । अपीलांट के विवादित भूमि में जन्म से ही हक अधिकार व आधिपत्य निहित है । कोई भी पक्षकार अपने हक अधिकार जिस सीमा तक प्रभावित होते है उस सीमा तक ही वाद/अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है, उसे संपूर्ण विवाद विषयवस्तु के लिये प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की कोई बाध्यता नहीं है, साथ ही निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 13 से 15 के अधिवक्ता द्वारा जो विधिक आधार उल्लेखित किये गये है वह विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न है जिनकों गुणागवुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक सिद्धांत नहीं है । इस कारण रेस्पो0 संख्या 13 से 15 की और से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे ।

हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता अमरा पुत्र हेमा जाति रावत द्वारा खेवट खतोनी संख्या 60/1 में वर्णित 129 बीघा भूमियों में से साबिक खसरा

नंबर 354, 449, 440, 441, 442, 443, 444, जिसके वर्किंग खसरा नंबर 403, 527, 528, 529, 530, 531, 532 कायम होकर वर्किंग जमाबदी संवत् 2041 के खाता संख्या 6 नया 6 पुराना की खातेदारी दर्ज होकर संपूर्ण भूमियों को विक्रय किया जाकर क्रेतागण के नाम नामांतकरण दर्ज होना प्रथमदृष्टया पत्रावली से दर्शित है । जिन भूमियों को स्वंय की खातेदारी की होना अमरा पुत्र हेमा द्वारा अपील संख्या 1/4 एवं सिविल प्रकरण संख्या 41/2012 में स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जो क्रमशः निर्णय दिनांक 30.6.2005 व 18.4.2012 के तहत निरस्त किये जा चुके है । इस प्रकार अपीलांट अपने स्वीकृत अभिवचनों से अंतर्गत धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधि0 से विबंधित है । जैसा कि मान0राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 2017 पार्ट–1 पेज 01 पर प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त पत्रावली से यह भी तथ्य प्रकट होता है कि साबिक खाता संख्या 60/1 में से उक्त भूमियों की खातेदारी प्राप्त होकर विक्रय किये जाने के बाद केवल मात्र साबिक खसरा नंबर 448 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 539 कायम किये गये है के बाबत् ही अन्य भूमियों को छोडते हुए अपील प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में न तो किसी प्रकार का उचित आधार उल्लेखित किया गया है तथा ना ही न्यायालय से अनुमति चाही गई है जबकि आदेश 2 नियम 2 जा0दी0 के तहत संपूर्ण विषयवस्तु को सम्मिलित किया जाना आज्ञापक सिद्धांत है जैसा कि आर0बी0जे0 1995 पेज 765 पर मान0 उच्चत्तम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा पैतृक भूमियों में अपना हक व अधिकार पूर्व में ही प्राप्त किये जाने के बाद दिनांक 20.12. 2004 के पश्चात् पुनः केवल मात्र साबिक खसरा नंबर 448 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 539 के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है जिस पर धारा 6 (1) भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1956 के विधिक प्रावधान लागू नहीं होते है जैसा कि मान0 उच्चत्तम न्यायालय द्वारा आर0बी0जे0 2016 पेज 1 में प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त पत्रावली से स्वंय अपीलांट की स्वीकृत अभिवचनों के तहत प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अपील मुख्तयारआम के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जिनकी आयु स्वंय अपीलांट द्वारा अपील के अंतर्गत 29 व 27 वर्ष स्वीकार किया है जबकि उनके द्वारा संवत् 1349 फसली के इंद्राज के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जिस समय मुख्तयारआम का जन्म ही नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में अपीलांट एवं उनके पूर्वाधिकारी के संबंध में अपीला के मुख्तयारआम को आदेश 3 नियम 1 व 2 जा0दी0 के तहत कथन किये जाने का अधिकार निहित नही करता है जैसा कि आर0बी0जे0 2013 पेज 267 पर प्रतिपादित किया गया है । इसके अतिरिक्त

अपीलांट द्वारा सवंत् 1349 फसली अर्थात् 1940–41 के पश्चात् वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 अर्थात् 1984 के खाता संख्या 6 में पैतृक भूमियों की खातेदारी प्राप्त कर विक्रय किये जाने के लगभग 40 वर्ष बाद आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयाजित किये बिना प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रथमदृष्टया अपीलांट न तो व्यथित पक्षकार की श्रेणी में है तथा ना ही अपीलांट स्वच्छ हाथों व मस्तिष्क के साथ न्यायालय के समक्ष प्रकट हुए है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूप्योग करते हुए न्यायालय एवं पक्षकारान का अनावश्यक रूप से समय व आर्थिक व्यय किया जाना भी प्रकट होता है, ऐसे पक्षकार न्यायालय से याचित अनुतोष प्राप्त किये जाने के अधिकारी नही है जैसा कि आर0आर0टी0 2004 पार्ट–1 पेज 6 एवं डी0एन0जे0 2017 पार्ट–1 पेज 1 पर मान0 राज0उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट प्रथमदृष्टया किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त योग्य पायी जाती है ।

अतः रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।